राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्र. प–11(1)(विविध)खान/ग्रुप–2/2023 **जयपुर, दिनांक**

परिपत्र

विषयः–न्यायालय प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर दिये गये निर्देशों की पालना के संबंध में।

इस विभाग के विभिन्न न्यायालयों में लंबित न्यायालय प्रकरणों में शीघ्र, त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे है। इस संबंध में मुख्य रूप से जारी विभिन्न निर्देश निम्नानुसार है–

1. दिनांक 06.12.2023 को लाईट्स वेबसाइट में दर्ज प्रकरणों के संबंध में समुचित कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये।
2. आदेश दिनांक 26.04.2024 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर तथा अधिनस्थ न्यायालय प्रकरणों के संबंध में राज्य वादकरण नीति, 2018 के बिन्दु संख्या 6 में वर्णित कर्तव्य एवं दायित्वो का निर्वहन करने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये।
3. निर्देश दिनांक 25.10.2024 के द्वारा जवाब हेतु लंबित प्रकरणों/अनुपालना प्रकरणों/रेड केटेगरी के प्रकरणों/लाईट्स वेबसाइट के अपडेशन व वेलिडेशन के सबंधं में विस्तृत निर्देश जारी किये गये।
4. न्यायालय प्रकरणों की प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में समीक्षा बैठक आयोजित कर लम्बे समय से लंबित प्रकरणों को निस्तारित करवाने, जवाब प्रस्तुत करने, न्यायालय निर्णयों की पालना सुनिश्चित करने, अवमानना प्रकरणों की विभागाध्यक्ष स्तर पर समीक्षा करने, लाईट्स वेबसाइट में नियमित रूप से अपडेशन की कार्यवाही करने इत्यादि निर्देश बैठक में दिये जाते रहे है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 4213/2016 में दिनांक 24.03.2025 को न्यायालय प्रकरणों में गंभीरता से कार्यवाही करने के विस्तृत निर्देश देते हुये सभी विभागों को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। यद्यपि इस विभाग द्वारा न्यायालय प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुऐ समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे है एवं बिना किसी विलम्ब के समुचित कार्यवाही न्यायालय प्रकरणों में की जाती रही हैं। तथापि न्यायालय प्रकरणों के सबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि–

1. माननीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होते ही प्रकरण में बिना किसी विलम्ब के प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता की नियुक्ति कर समुचित प्रतिरक्षण की कार्यवाही की जावें।
2. नोटिस प्राप्त होने के 7 दिवस के अन्दर प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट, पैरा वाईज टिप्पणी एवं संबंधित दस्तावेज प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराये जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravikanth Tatipudi
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.04.08 17:55:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14657608

3. प्रभारी अधिकारी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट, पैरा वाईज टिप्पणी एवं संबंधित दस्तावेज प्राप्त होते ही अधिवक्ता से संपर्क कर सभी संबंधित नियमो/परिपत्रों/दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हुऐ जवाब तैयार करवा कर आगामी 7 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। यदि प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता द्वारा पूरक सामग्री चाही जावें तो बिना किसी विलम्ब के उपलब्ध कराई जावें।

4. प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश/निर्णय पारित होने पर उसकी प्रति अविलम्ब प्राप्त करते हुवे अधिवक्ता की राय सहित प्रकरण विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जावें एवं यदि अपील/नो अपील का निर्णय विभागाध्यक्ष स्तर से लिया जाना है तो 7 दिवस में निर्णय लेकर पालना सुनिश्चित की जावें।

5. यदि निर्णय पर अपील/नो अपील का निर्णय प्रशासनिक विभाग के स्तर से लिया जाना है तो समुचित प्रस्ताव 7 दिवस में इस विभाग को भिजवाये जावें।

6. न्यायालय निर्णय पर नो अपील का निर्णय होते ही अनुपालना सुनिश्चित की जावें। यदि उच्चतर न्यायालय में अपील दायर करने का निर्णय लिया जाता है तो समयावधि में अपील दायर कर स्थगन प्राप्त करने के सभी प्रभावी प्रयास किये जावें। जिससे की माननीय न्यायालय के निर्णय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न ना हो।

7. प्रभारी अधिकारी द्वारा राज्य वादकरण नीति, 2018 के बिन्दु संख्या 7 में निहित प्रभारी अधिकारी के कर्तव्यों एवं दायित्वो का निर्वहन किया जावें।

8. जैसा कि इस विभाग एवं न्याय विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश दिये जाते रहे है कि सभी जवाब हेतु शेष प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत करने एवं न्यायालय निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ ही दस्तावेज अपलोड करने तथा लाईट्स वेबसाइट में नियमित रूप से अपडेशन/वेलीडेशन का कार्य समयबद्ध तरीके से संपादित किया जावें।

9. यदि उक्त निर्देशों की पालना में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उपेक्षा की जाती है तो संबंधित लोकसेवक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में टिप्पणी अंकित करते हुये अनुशासनिक कार्यवाही भी की जावें।

उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से सुनिश्चित की जावें। परिपत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावें।

(टी. रविकान्त)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. निदेशक, पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रबंध निदेशक, आर.एस.एम.एम.लि0, उदयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravikant Tatipudi
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.04.08 17:55:48 IST
Reason: Approved

प्रमुख शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 14657608